

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- प-11(01)प्रशि/पॉलिसी/2020/ 4721

दिनांक:- 17/9/2020

प्रधानाचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जोधपुर।

विषय:- आरएसी के कर्मियों को स्टोर प्रबन्धन के प्रशिक्षण हेतु "प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (ToT)" करवाये जाने के लिये 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- आपके कार्यालय के पत्रांक 3132 दिनांक 10.03.2020 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा तैयार कर भिजवाये गये 03 दिवसीय आरएसी के कर्मियों को स्टोर प्रबन्धन के प्रशिक्षण हेतु "प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (ToT)" करवाये जाने के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है (डॉ. विकास सहायक महानिरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।)

1. उप अधीक्षक पुलिस इंफोर्मर व
2. संचित निरीक्षक RPT2
3. प्रभारी क्लर्क

आरपीएस
2291-99
19/09/20

प्रभारी
प्रशिक्षण राजस्थान
आरपी.टी.सी., जोधपुर

आर.ए.सी. कर्मियों के लिये स्टोर प्रबन्धन के प्रशिक्षण हेतु "प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.)"

तीन दिवसीय प्रशिक्षण मॉडल कार्यक्रम

समय	शाखा का नाम	शाखा से संबंधित विषय/पाठ्यक्रम के विन्दु
प्रथम दिवस		
10.30-12.00	हथियार/एम्पूनेशन (कोत)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सशस्त्र बल के लिए अधिकृत हथियार व एम्पूनेशन, ❖ हथियारों का रख-रखाव, साफ-सफाई व सुरक्षा बाबत स्थाई आदेश, ❖ नकारा हथियारों का निस्तारण व ससकी प्रक्रिया, ❖ फायरिंग के दौरान हथियारों में दूट-फूट या अन्य कोई दुर्घटना संबंधी सावधानियां व नियमों की जानकारी,
टी-ब्रेक (12.00-12.30)		
12.30-02.00	निविदा की प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none"> ❖ निविदा की प्रक्रिया
लंच ब्रेक (02.00-03.30)		
03.30-05.00		<ul style="list-style-type: none"> ❖ निविदा की ऑनलाईन उपापन प्रक्रिया
द्वितीय दिवस		
10.30-12.00	बैरा	<ul style="list-style-type: none"> ❖ बर्तन क्रय करने की प्रक्रिया, ❖ दूटे-फूटे बर्तनों के निस्तारण की प्रक्रिया, ❖ क्रय सभिति का गठन ❖ खरीद प्रक्रिया बाबत सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों की जानकारी,
टी-ब्रेक (12.00-12.30)		
12.30-02.00	स्टेशनरी व रिकॉर्ड क्रम	<ul style="list-style-type: none"> ❖ स्टेशनरी रुम का रख-रखाव, ❖ सामान (स्टेशनरी) क्रय करने की प्रक्रिया एवं लेखा नियमों की जानकारी, ❖ पुराने रिकॉर्ड के समयावधी व निस्तारण की प्रक्रिया ❖ रिकॉर्ड की सुरक्षा हेतु ध्यान रखी जाने वाली बातें-अग्निशमन संव, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव इत्यादि।
लंच ब्रेक (02.00-03.30)		
03.30-05.00	भौतिक सत्यापन	<ul style="list-style-type: none"> ❖ समस्त शाखाओं का भौतिक सत्यापन बाबत विस्तृत जानकारी प्रक्रिया व प्रमारी के लिए ध्यान रखने योग्य बातें।
तृतीय दिवस		
10.30-12.00	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	<ul style="list-style-type: none"> ❖ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जानकारी, ❖ बटालियन मुख्यालय पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्टॉक रजिस्टर की प्रविष्टियों संबंधी जानकारी, ❖ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (कम्प्यूटर आदि) के रख-रखाव की जानकारी, ❖ ई-वेस्ट के निस्तारण संबंधी स्थाई आदेश व प्रक्रिया,
टी-ब्रेक (12.00-12.30)		
12.30-01.15	सी.पी.सी. कंटैन	<ul style="list-style-type: none"> ❖ सी.पी.सी. नियमों के तहत सामान क्रय करना, ❖ खरीदे गये सामान में मुनाफे का प्रतिशत जोड़कर मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया, ❖ केश-बुक, स्टॉक मजिदा एवं विल पत्रावली का संभारण व ध्यान रखने योग्य बातें,
01.15-02.00	बटालियन का वार्षिक निरीक्षण	<ul style="list-style-type: none"> ❖ बटालियन के वार्षिक निरीक्षण बाबत स्थाई आदेश, प्रक्रिया तथा शाखाओं के प्रमारियों का आविर्भाव
लंच ब्रेक (02.00-03.30)		
03.30-05.00	समूह परिचर्चा	<ul style="list-style-type: none"> ❖ प्रशिक्षण से संबंधित सामूहिक परिचर्चा, इंटरैक्शन व पीडब्लैक

नोट :- प्रतिदिन प्रातः 06.00 से 6.40 बजे तक पी.टी. एवं सांय 05.30 से 06.30 बजे तक खेलकूद की कालाश होगी।